# अनुबंध क

## आयकर अधिनियम के अंतर्गत शास्ति एवं अभियोजन प्रावधान शास्ति

## प्रावधान

| खण्ड | प्रावधानों का सार | न्यूनतम शास्ति | अधिकतम शास्ति |
|---|---|---|---|
| 140ए(3) | धारा 140ए(1) के अनुसार, आयकर और/या ब्याज के भुगतान में विफलता। | ऐसी धनराशि जो एओ लगाए। | बकाया कर |
| 221(1)) | निर्धारित समय के भीतर कर का भुगतान करने में चूक। | ऐसी धनराशि जो एओ लगाए। | बकाया कर |
| 271(1)(बी) | धारा 142(1) या 143(2) के तहत नोटिस अथवा धारा 142(2ए) के तहत जारी दिशा-निर्देश के अनुपालन में विफलता। | प्रत्येक विफलता के लिए ₹10,000 | प्रत्येक विफलता के लिए ₹10,000 |
| 271(1)(सी)/(डी) | विशेष आय को छुपाना अथवा आय का गलत विवरण देना। | बचाए गए 100 *प्रतिशत* कर की माँग। | बचाए गए कर के 300 *प्रतिशत* की माँग। |
| 271ए | धारा 44एए के तहत अपेक्षित सूचना या दस्तावेज इत्यादि के अनुरक्षण में विफल रहना। | ₹25,000 | ₹25,000 |
| 271एए | अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में सूचना या दस्तावेज इत्यादि के अनुरक्षण में विफल रहना। | ऐसे लेने-देन के मूल्य का दो *प्रतिशत* | - |
| 271एएए | खोज के मामले में अघोषित आय (01.06.2007 से लागू)। | विनिर्दिष्ट पिछले वर्ष के अघोषित आय का 10 *प्रतिशत* | - |
| 271बी | धारा 44एबी के तहत लेखापरीक्षित खातों या धारा 44एबी के तहत अपेक्षित ऐसी सूचना देने में विफलता। | कुल बिक्री अथवा कुल बिक्री आय का आधा *प्रतिशत* | ₹1,00,000 |
| 271बीए | धारा 92 ई के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता। | ₹1,00,000 | - |
| 271सी | धारा 192 से 195 के तहत अपेक्षित कर कटौती में विफलता धारा 115-ओ(2) या धारा 194बी के द्वितीय प्रावधान के तहत अपेक्षित कर के भुगतान में विफलता। | ऐसे व्यक्ति द्वारा कटौती या भुगतान में विफल होने वाली राशि | - |
| 271सीए | स्रोत पर कर संग्रहण में विफलता। | जिस राशि के कर के संग्रहण में व्यक्ति विफल रहा उस राशि का 100 *प्रतिशत* | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 271डी | धारा 269 एसएस के प्रावधान के विपरीत ऋण स्वीकार करना या जमा करना। | स्वीकृत ऋण अथवा जमा की राशि | - |
| 271ई | धारा 269 टी के प्रावधानों के विपरीत ऋण की पुनर्अदायगी या जमा़ | भुगतान किए गए ऋण या जमा की राशि | - |
| 271एफ | संबंधित निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पहले धारा 139(1) द्वारा अपेक्षित आय का रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता | ₹5,000 | - |
| 271एफए | धारा 285बीए(1) निर्धारित समय के भीतर वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता | विफलता से प्रतिदिन ₹100 | - |
| 271एफबी | वास्तविक लाभ की रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता। | विफलता से प्रतिदिन ₹100 | - |
| 271जी | धारा 92डी के तहत सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता। | ऐसे लेन-देन के मूल्य का दो *प्रतिशत* | - |
| 272ए(1)(ए) | आयकर प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति से पूछे गए प्रश्न का जवाब देने में विफलता। | प्रति चूक ₹10,000 | प्रति चूक ₹10,000 |
| 272ए(1)(बी) | आयकर कार्यवाहियों के दौरान एक व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान पर हस्ताक्षर न करना। | प्रति चूक ₹10,000 | प्रति चूक ₹10,000 |
| 272ए(1)(सी) | साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में धारा 131(1) के तहत जारी सम्मन के अनुपालन में विफलता। | प्रति चूक ₹10,000 | प्रति चूक ₹10,000 |
| 272ए(2) | नोटिस के अनुपालन में विफलता<br>• धारा 94 के तहत; धारा 176(3) के तहत व्यापार/व्यवसाय को बन्द होने की सूचना देना;<br>• धाराओं 133, 206, 206सी या 285बी में उल्लिखित रिटर्न/विवरण देना;<br>• धारा 134 के तहत रजिस्टरों के जाँच की अनुमति देना;<br>• धारा 139(4सी) या 139(4ए) के तहत आय की रिटर्न प्रस्तुत करना या धारा 197ए अथवा 206सी(1ए) में उल्लिखित घोषणा निर्धारित समय में करना;<br>• धारा 203 या 206सी के तहत अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना; | चूकें जारी रहने के दौरान ₹100 प्रति दिन | चूकें जारी रहने के दौरान ₹100 प्रति दिन |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • धारा 226 के तहत कर भुगतान या कटौती करना; धारा192(2सी) के तहत अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करना;<br>• धारा 200(3)/206सी(3) के तहत टीडीएस/टीसीएस के विवरण की एक प्रति देना;<br>• 206ए के तहत रिटर्न देना | | |
| 272एए | धारा 133बी के अनुपालन में विफलता। | ₹1000 तक कोई भी जुर्माना | ₹1,000 |
| 272बी | धारा 139ए के अनुपालन में विफलता। | ₹10,000 | - |
| 272बीबी(1) | धारा 203ए के अनुपालन में विफलता। | ₹10,000 तक | ₹10,000 |
| 272बीबी(1ए) | कर कटौती उद्धृत करने अथवा कर संग्रहण खाता संख्या उद्धृत करने में विफलता। (01/06/2006 से)। | ₹10,000 | - |
| 272बीबीबी | धारा 206 सीए के प्रावधान के अनुपालन में विफलता (01/06/2002 से लेकिन 01/10/2004 से पहले) | ₹10,000 | - |
| 273ए /एए | ये धारायें सीआईटी को शास्ति से उन्मुक्ति प्रदान करने के लिए सशक्त करती हैं। | | |
| 273 बी | कुछ मामलों में शास्ति नहीं लगाई जाय यदि निर्धारिती सिद्ध करे कि कथित विफलता के लिए उचित कारण था। | | |
| 274 | शास्ति लगाने की प्रक्रिया | | |
| 275 | शास्ति लगाने के लिए सीमा बार | | |

## अभियोजन के प्रावधान

| धारा | अपराधों की प्रकृति | सजा<br>सश्रम कारावास |
|---|---|---|
| 275ए | जब्त परिसम्पत्तियों से कारोबारी संव्यवहार निषेधात्मक/धारा 132(3) के तहत रचनात्मक जब्ती का आदेश/धारा 132(1) के तहत द्वितीय प्रावधान का उल्लंघन | दो वर्षों तक तथा जुर्माना |
| 275बी | निरीक्षण करने के लिए सुविधाओं को वहन करने के संबंध में धारा 132(1) (आईआईबी) के प्रावधानों के अनुपालन में विफलता | दो वर्षों तक तथा जुर्माना |
| 276 | कर वसूली विफल करने के लिए किसी संपत्ति की सुपुर्दगी अथवा धोखाधड़ी से हटाना, छिपाना, स्थानान्तरण करना | दो वर्षों तक तथा जुर्माना |
| 276ए | 278(1) एवं 278(3) के प्रावधानों के अनुपालन में विफलता | दो वर्षों तक तथा जुर्माना |
| 276बी | केन्द्र सरकार के क्रेडिट (टीडीएस) के कर का भुगतान करने में विफलता अथावा धारा 115-ओ के तहत सरकारी कर के भुगतान में विफलता | तीन माह एवं जुर्माना |
| 276बीबी | स्रोत पर संग्रहीत कर का भुगतान करने में विफलता | तीन माह एवं जुर्माना |
| 276सी(1) | कर, शास्ति या ब्याज के अपवंचन के लिए जानबूझ कर प्रयास करना | यदि कर अपवंचन एक लाख से अधिक का हो छः महीने से सात वर्ष एवं जुर्माना |
| 276सी(2) | किसी कर, शास्ति या ब्याज के भुगतान को अपवंचन का जानबूझ कर प्रयास करना | अन्यथा: तीन माह से तीन वर्ष एवं जुर्माना |
| 276सीसी | धारा 139(1)/142/148 या 153ए या 115डब्ल्यूडी(1)/115डब्ल्यूएच(एफबीटी) के तहत आय की रिटर्न प्रस्तुत करने में जानबूझ कर विफलता। | अन्यथा: तीन माह से तीन वर्ष एवं जुर्माना |
| 276डी | धारा 142(1) के तहत नोटिस जारी करके निर्देशित दस्तावेजों तथा लेखों को प्रस्तुत करने में जानबूझ कर विफलता। | एक वर्ष तक या चूक से प्रतिदिन ₹ चार से 10 की दर से एक वर्ष तक जुर्माना या दोनों |
| 277 | सत्यापन में गलत विवरण देना अथवा गलत खाता या विवरण देना। | यदि कर अपवंचन ₹ एक लाख से अधिक हो तो छः महीने अथवा: तीन महीने एवं जुर्माना |

| | | |
|---|---|---|
| 277ए | जाली खाता-बहियाँ या दस्तावेज आदि तैयार करना | तीन महीने (और जुर्माना) |
| 278 | गलत विवरण या घोषणा करने के लिए उकसाना | यदि कर अपवंचन ₹ एक लाख से अधिक हो तो छः महीने अथवा: तीन महीने एवं जुर्माना |
| 278ए | कुछ चूकों के मामले में सजा पाने के बाद दूसरी बार तथा अनुवर्ती अपराध | प्रत्येक अपराध के लिए छः माह |
| 278बी एवं 278सी | कम्पनियों, फर्म, एचयूएफ द्वारा किए गए अपराधों, प्रबंध निदेशक, प्रबंध साझीदार कर्ता या कोई अन्य अधिकारी जिसने जानबूझकर कंपनी/फर्म/एचयूएफ के लिए अपराध किया हो, का आपराधिक दायित्व | कंपनी/फर्म/एचयूएफ के मामले के एक समान |
| 280(1) | धारा 138(2) के विरूद्ध एक लोक सेवक द्वारा प्रकटन | छः महीनों की कोई अवधि एवं जुर्माना |

## सम्पदा कर अधिनियम के तहत दण्ड के प्रावधान

| **धारा** | **प्रावधानों का सार** | **न्यूनतम शास्ति** | **अधिकतम शास्ति** |
|---|---|---|---|
| 15बी(3) | स्व-निर्धारण पर देय कर या ब्याज के भुगतान में विफलता | बकाया कर के 100 *प्रतिशत* से अधिक नहीं | - |
| 18 (1)(ii) | बिना उचित कारण के धारा 16(2) या (4) के तहत ज्ञापन के अनुपालन में विफलता | ₹1,000 | ₹25,000 |
| 18(1)(iii) | सम्पदा का छुपाव | अपवंचन किए जाने वाले कर का 100 *प्रतिशत* | अपवंचन किए जाने वाले कर का 500% |
| 18A(1)(ए), (बी) और (सी) | प्रश्न का उत्तर देने में विफलता (i)कानूनी रूप से बाध्य, (ii) विवरण पर हस्ताक्षर, (iii) सम्मन का अनुपालन | प्रत्येक विफलता पर 500 *प्रतिशत* | प्रत्येक विफलता पर ₹10,000 |
| 18ए9(2) | विवरण देने में विफलता | विफलता से ₹100 प्रतिदिन | विफलता से ₹200 प्रतिदिन |
| 32 | कर के भुगतान में चूक | बकाया कर के 100 *प्रतिशत* से अधिक नहीं | |